भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1351

(सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

अनुदानों की निगरानी

1351. श्री राजेश रंजनः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में अनेक कंपनियाँ प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, कार्बन क्रेडिट, जलवायु परिवर्तन को न्यून करने आदि क्षेत्रों में कार्य करने के नाम पर पंजीकृत हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार के पास ऐसे सभी कंपनियों की अद्यतित और सत्यापित सूची उपलब्ध है; यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास पर्यावरण संरक्षण या कार्बन शमन कार्यों हेतु इन कंपनियों को विदेश से प्राप्त अनुदान/निधियों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध है; यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार नियमित रूप से यह जाँच करती है कि इन कंपनियों को प्राप्त विदेशी निधियों का उपयोग केवल कागज़ी कार्यवाही या अनुचित लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि उचित परियोजनाओं के लिए हो रहा है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा अपनाई गई निगरानी प्रक्रिया, अनुपालन जाँच, की गई कार्रवाई और प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?:

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): निगमन के समय कंपनियों को उनके व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर एनआईसी कार्यकलाप संहिता प्रदान किया जाता है जो प्रत्येक कंपनी को दिए गए अनुपम सीआईएन (कारपोरेट पहचान संख्या) में अंतर्निहित होता है। प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, कार्बन क्रेडिट, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण आदि के क्षेत्र में कंपनियों के विशिष्ट आंकडे एमसीए-21 के अंतर्गत नहीं रखे जाते हैं। तथापि, एनआईसी संहिता के तहत निगमित कई कंपनियां हैं जिनमें धातु अपशिष्ट और स्क्रैप का पुनर्चक्रण, गैर-धातु कचरे और स्क्रैप का पुनर्चक्रण, सौर ऊर्जा का उत्पादन, अन्य गैर-पारंपरिक स्रोतों से बिजली उत्पादन, सीवेज और कचरा निपटान, स्वच्छता

और इसी तरह के कार्यकलापों, कचरा संग्रह, परिवहन और निपटान, खतरनाक और गैर-खतरनाक कचरे का संग्रह आदि जैसी व्यावसायिक कार्यकलाप हैं।

(ग) से (च): सभी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित है, जो अनिवार्य करता है कि कंपनी के वित्तीय विवरणों को एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहिए, अधिसूचित लेखांकन मानकों का अनुपालन करना चाहिए और अनुसूची III का पालन करना चाहिए। सभी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार के पास अपना वित्तीय विवरण फ़ाइल करना अपेक्षित है। लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत कंपनी के वित्तीय विवरण का ऑडिट करता है। कंपनी पंजीयक द्वारा सम्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध समय-समय पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। एमसीए-21 के अंतर्गत विदेश से प्राप्त अनुदान/निधि के संबंध में कोई विशिष्ट आंकडे नहीं रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत पंजीकरण और नवीकरण आवेदनों की कार्रवाई केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों की फील्ड जांच रिपोर्ट पर आधारित होती है और विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले संगठनों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

******